HINDUSTAN

एलयू: प्रवेश ले चुके छात्रों का दस्तावेज सत्यापन 24 को

- प्रवेश समन्वयक की ओर से जारी की गई सूचना
- अंकपत्र, स्वहस्ताक्षरित प्रतियां छात्रों को लानी होंगी

लखनऊ, संवाददाता। एलयू में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 24 अगस्त को होगा। प्रवेश समन्वयक प्रो. अनित्य गौरव की ओर से शनिवार को जारी सूचना में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी हो चुका है, लेकिन दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें निर्धारित विभाग में पहुंचकर अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा।

इसके लिए विद्यार्थियों को 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे से संबंधित संस्थान में पहुंचना होगा। परास्नातक स्तर पर एमबीए, एमबीए (टीटीएम) और तीन वर्षीय एलएलबी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रोविजनल आवंटन पत्र, शुल्क रसीद, सभी मूल प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र और उनकी स्वहस्ताक्षरित प्रतियां ले जानी होंगी।

HINDUSTAN

शोध की नैतिकता पर मंथन किया गया

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के जानकीपुरम विस्तार स्थित न्यू कैंपस में शनिवार को बेसिक मेडिकल साइंसेज में अनुसंधान पर क्लीनिकल साइंटिस्ट्स के सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन 'बायोमेडिका-2026' की शुरुआत हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज के सभागार में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का विषय 'बेसिक मेडिकल साइंसेज में एकीकृत अनुसंधान के माध्यम से क्लीनिकल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना' है। उद्घाटन सत्र में देशभर से आए वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधार्थी और प्रतिनिधि शामिल हुए।

HINDUSTAN

एलयू में जुटेंगे 12 देशों के राजनयिक

लखनऊ। राजधानी में एकेडमिक डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल शुरू हुई है। एलयू में 18वें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम में विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र और शोधकर्ता वैश्विक नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। पहली बार युवा देश के नीति निर्माताओं के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 23 अगस्त शाम 6:30 बजे मालवीय हॉल में मुख्यमंत्री करेंगे।

SWATANTRA BHARAT

लविवि: बायोमेडिका 2026 का शुभारंभ

स्वतंत्र भारत संवाददाता लखनऊ। बेसिक मेडिकल साइंसेज में अनुसंधान पर क्लीनिकल साइंटिस्ट्स के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन, बायोमेडिका 2026 के पहले दिन का आयोजन जानकीपुरम विस्तार स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज के ऑडिटोरियम में किया गया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नेशनल एम.एससी. मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय बेसिक मेडिकल साइंसेज में एकीकृत अनुसंधान के माध्यम से क्लीनिकल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

SWATANTRA BHARAT

लविवि: अभिलेखों का सत्यापन कल

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2026–27 के तहत प्रवेश पाए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 24 अगस्त दोपहर 12 बजे तक होगा। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी है पर दस्तावेज का सत्यापन नहीं हुआ है। जानकीपुरम कैंपस में बीबीए, बीबीए टूरिज्म, बीसीए, डी-फार्मा, बीफार्मा और पांच एलएलबी के विद्यार्थियों का सत्यापन संबंधित विभागों में होगा। ओल्ड कैंपस में बीएसए एआई साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ वोकेशन (बीवॉक), बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स (बीवीए) और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बीएफए) के विद्यार्थियों का सत्यापन भी उनके निर्धारित विभागों में किया जाएगा। (संवाद)

AMRIT VICHAR

पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के संरक्षण पर कानूनी प्रावधानों की चर्चा

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से आयोजित पुरातत्व अभिरुचि पाठ्यक्रम के तीसरे दिन शनिवार को दो व्याख्यान हुए। प्रथम सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार ने 'पाषाण उपकरणों से धातु तक : प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विकास' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल से धातु युग तक मानव जीवन में हुए तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाषाण उपकरणों से शुरू हुई तकनीकी यात्रा आखेटक-खाद्य संग्राहक जीवन से कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास, मृद्भांड और धातु प्रयोग तक पहुंची। कांस्य और लौह के प्रयोग से उत्पादन, कृषि, शिल्प और सामाजिक संगठन को नई गति मिली।

कार्यक्रम को संबोधित करते वक्ता। ● अमृत विचार

दूसरे सत्र में भारतीय पुरातत्व

- स्मारकों के संरक्षण में कानून और जनभागीदारी जरूरी

सर्वेक्षण, नई दिल्ली के अधीक्षण पुरातत्वविद इंदु प्रकाश ने 'स्मारकों और पुरातात्त्विक क्षेत्रों के कानून में प्राविधान' विषय पर संबोधित किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 49 और 51 ए (एफ) का उल्लेख करते हुए कहा कि धरोहर संरक्षण राज्य के साथ प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। उन्होंने संरक्षित स्मारकों व पुरातात्त्विक स्थलों की सुरक्षा, उत्खनन के नियमन, पुरावशेषों के संरक्षण तथा चोरी-तस्करी रोकने के कानूनी प्रावधान बताए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के निषिद्ध व विनियमित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण तथा पुरावशेषों और कला निधियों के अवैध निर्यात को दंडनीय अपराध बताया। उन्होंने कानून के सख्त अनुपालन और जनसहभागिता को जरूरी बताया। दोनों वक्ताओं का निदेशक रेनू द्विवेदी ने पौधा और स्मृति-चिह्न देकर सम्मान किया। संचालन सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉ. मनोज कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम में 100 प्रतिभागियों ने ऑफलाइन और 50 ने ऑनलाइन सहभागिता की। विभाग के बलिहारी सेठ, अभयराज सिंह, अनिल सिंह, संतोष कुमार सिंह, आशीष, अकील, अभिषेक, अनिल, दरियाव और लवकुश आदि मौजूद रहे।